न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 108/2016 दायर तारीख : 16.11.2016

1. गणेश पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी कल्याणपुरा पटवार हल्का आमलोदा दूधी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। ––वादी

बनाम

1. भागीरथ
2. बन्शीधर
3. प्रभूदयाल
4. गोपीराम
5. बाबुलाल

(1 से 5) पुत्रान पूरणमल उर्फ पूराराम

6. घनश्याम पुत्र भागीरथ
7. भोरिया पुत्र भंवरा

8–8/1. बाबुडी देवी पत्नि रामप्रताप

8–8/2. हंसा देवी पुत्री रामप्रताप

8–8/3. सोणी देवी पुत्री रामप्रताप

(1 से 8–8/3) समस्त जाति गुर्जर निवासी कल्याणपुरा पटवार हल्का आमलोदा दूधी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

9. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.
10. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। –– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदार भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विनोद कुमार गुर्जर, अधिवक्ता वादी

श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6

एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/3

पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी संख्या 7

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 31.10.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम कल्याणपुरा के हाल खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 42/0.6200, 63/0.5400 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 43/0.1200 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1200 वादी एवं प्रतिवादीगण की नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी भमि हाल खाता संख्या 33 हाल खसरा नंबर 42/0.6200 व 63/0.5400 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 5 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 6 का

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/4 तथा हाल खाता संख्या 108 के हाल खसरा नंबनर 43 रकबा 0.1200 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक् जमाबंदी है। आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी पैसा खर्चा करके काबिज काश्त योग्य बनाया है। प्रतिवादीगण, वादी को ऐलानिया धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम कल्याणपुरा के के हाल खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 42/0.6200, 63/0.5400 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 एवं खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 43/0.1200 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे, नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम एवं अलग से पर्चा पासबुक जारी की जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 33 एवं 108 संवत् 2072–2075, नक्शा ट्रेस पेश की है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/3 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के जवाब दावा में कथन रहे कि वाके ग्राम कल्याणपुरा के खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 42/0.62, 63/0.54 कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 रिकॉर्डनुसार है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/8 है। इसी प्रकार खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 43/0.12 हैक्टैयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/8 रिकॉर्ड जमाबंदी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 भी वादी के अनुसार अपनी हिस्से अनुसार कब्जा काश्त सुविधा सन्तुलन के अनुरूप कानूनी बंटवारा करवाना चाहता है। किन्तु वादी ने वाद पत्र के खण्ड–1

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

एवं 2 में वर्णित भूमि का तो कानूनी बंटवारा करवाना चाहता है। इसके अलावा भी वादी, प्रतिवादीगण के नाम रिकॉर्ड खातेदारी भूमि अन्य भूमि का जिक नहीं किया, कानूनन वादी को समस्त भूमि का उल्लेख करते हुएसमस्त खातेदारी भूमि का बंटवारा करना चाहिए था, क्योंकि समस्त भूमि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आती है। तथा प्रतिवाउदी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रतिदावा पेश किया। कथन रहे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 7 व 8 एवं अन्य खातेदार बद्री पुत्र भगवाना, केशरी, प्रभाती, सोनी पुत्रियान भौरां एवं संतरा देवी पत्नि मूलचंद तथा वादी स्वंय की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का आमलोदा दुधी तहसील विराटनगर के आराजी खसरा नंबर 289/0.04, 290/0.04, 300/0.12, 301/0.12, 302/0.16, 303/0.20, 311/0.36, 312/0.01, 313/0.01, 314/0.01 कुल किता 10 कुल रकबा 1.07 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी में बद्री पुत्र भगवाना का हिस्सा 1/4, तथा वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/4, बालूराम, भैरूराम पिता भौरा, केशरी, प्रभाती, सोनी पुत्रियान भैंारा का हिस्सा 1/8 है। तथा रामप्रताप, गणेश पिता काना का हिस्सा 1/8 एवं संतरा देवी पत्नि मूलचंद गुर्जर का हिस्सा 1/4 है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि मूल वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि तथा प्रतिदावा के खण्ड 1 में वर्णित भूमि का खण्ड 2 में वर्णित हिस्से अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त समस्त पक्षकारों में कानूनी बंटवारा कर दिया जावें। समस्त पक्षकारों को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित कर पर्चा पास बुक भी पृथक–पृथक जारी कर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक अमल दरामद करने तथा नक्शा ट्रेस में आवश्यक बटा नंबर बनाकर लाल स्याही से तरमीम करे।

5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट आमलोदा दूधी में पेश होने पर उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधिवक्ता उभयपक्षों का निवेदन रहा कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त प्रकरण कर निस्तारण किया जावे। अधिवक्ता उभयपक्षों के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को नियमानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
6. तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 04.10.2019 को कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई
7. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम वाके ग्राम कल्याणपुरा के हाल खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 42/0.6200, 63/0.5400 कुल किता 2 कुल

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रकबा 1.1600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 43/0.1200 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1200 वादी एवं प्रतिवादीगण की नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी भमि हाल खाता संख्या 33 हाल खसरा नंबर 42/0.6200 व 63/0.5400 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 5 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/4 तथा हाल खाता संख्या 108 के हाल खसरा नंबनर 43 रकबा 0.1200 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी है। आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी पैसा खर्चा करके काबिज काश्त योग्य बनाया है। प्रतिवादीगण, वादी को ऐलानिया धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 04.10.2019 प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। एवं प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की तरफ से पेश किया गया प्रतिदावा अस्वीकार किया जाता है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

9. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	घनश्याम पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	63/0.11, 42/1/0.05 हैक्टेयर
2	भौरिया पुत्र भंवरा जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	63/2/0.16 हैक्टेयर
3	गणेश पुत्र काना हिस्सा 1/2, हंसा देवी, सूणी देवी पुत्रियान रामप्रताप, बाबूडी देवी पत्नि स्व0 रामप्रताप हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	63/3/0.16, 63/1/0.11, 42/2/0.05 हैक्टेयर
4	महेश पुत्र बन्शीधर, सावत्री पुत्री बन्शीधर, प्रभाती देवी पत्नि बन्शीधर हिस्सा 1/5, मूलचंद, घनश्याम पिता भागीरथ, सूजी देवी पत्नि भागीरथ हिस्सा 1/5, प्रभूदयाल, गोपीराम बाबूलाल पिता पूरणमल उर्फ पूराराम हिस्सा 3/5 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	42/0.52, 43/0.12 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner